न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 173/24 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/375

उनवान

1. सतीश पुत्र छोटेलाल
2. मोहकम पुत्र छोटेलाल
3. राजपाल पुत्र छोटेलाल
4. मंगतूराम पुत्र रुपसिंह
5. नन्नू पुत्र मोतीराम
6. रविन्द्र सिंह पुत्र मोतीराम
7. प्रहलाद पुत्र मोतीराम

जाति जाट निवासी ऐचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र मटरूआ
2. करनसिंह पुत्र मटरूआ
3. मोहन सिंह पुत्र मटरूआ

जाति जाट निवासी ऐचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
5. सब रजिस्ट्रार नदबई।
6. प्रबंधक वी.आर.के.जी.बी. नदबई।

.....असल प्रतिवादी

7. सत्यवती पत्नी स्व. गजेन्द्र
8. अमित पुत्र गजेन्द्र
9. सुमित पुत्र गजेन्द्र
10. ललित पुत्र गजेन्द्र
11. खुशबू पुत्री गजेन्द्र
12. सरजू पुत्री गजेन्द्र
13. सतीश
14. मोहकम
15. राजपाल

पिसरान स्व. वीरा

जाति जाट निवासी ऐचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 124/14 बउनवानी सतीश बनाम हरीसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2024 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री पंकज कुमार उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक : 08.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा मु.स. 124/14 बउनवानी सतीश बनाम हरीसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2024, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1478 रकबा 0.48 है0 किता 1 जो साबिक खसरा नम्बर 2060 में 1283 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा से बना है। जो कि सं. 2028 के खसरा नम्बर 1036 रकबा 3 बिस्वा से बनाया गया है जो वाके ग्राम ऐचेरा तहसील नदबई स्थित है। उक्त विवादित आराजी पर वादीगण सं. 1 लगायत 4 को 1/3 हिस्से का व वादी सं. 5 को 1/3 हिस्से का, वादी सं. 6 लगायत 10, 1/3 हिस्सा का बाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म ईम्तनाई दबामी से पाबंद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। तद्उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.08.2024 को निर्णय पारित कर वादीगण का वाद सिद्ध नहीं होने से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की हैं

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज कुमार एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार उपमन ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खाता सं. 447 के खसरा नम्बर 1478 रकबा 0.48 है0 किता 1 जो साबिक खसरा नम्बर 2060 में 1283 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा से बना है। जो कि सं. 2028 के खसरा नम्बर 1036 रकबा 3 बिस्वा से बनाया गया है जो वाके ग्राम ऐचेरा तहसील नदबई स्थित है। उक्त आराजी पैतृक है जो कि वादीगण के पिता व बाबा श्री सोना की कब्जे काश्त व खातेदारी की शुरु से आराजी रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया। वादीगण/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से यह स्पष्ट होता है कि सम्वत 2028 से पूर्व विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1036 अपीलान्ट के पूर्वज स्व0 सोना के कब्जे काश्त की आराजी थी जिसके हाल नम्बर बनाते हुए गलत रुप से प्रतिवादीगण/असल रेस्पोडेन्ट के नाम सैटिलमेन्ट विभाग ने दर्ज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये आज्ञा पारित कर दी जो काबिल निरस्तनीये है। अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर पर मौके पर अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स का कब्जा है। प्रतिवादीगण/असल रेस्पोडेन्ट का मौके पर कोई कब्जा नहीं है इसी कारण वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और ना ही जबाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों को अनदेखा करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिल निरस्तनीये है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी और ना ही प्रार्थीगण के अभिभाषक ने इस बाबत कोई सूचना प्रार्थीगण को दी। दिनांक 27.11.2024 को जब प्रार्थीगण ने अपने अभिभाषक से मिला तब उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। इस पर प्रार्थीगण ने नकल के लिये दिनांक 28.11.2024 को आवेदन किया। इस प्रकार होने जानकारी व नकल से प्रार्थीगण यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए दावा अपीलान्ट डिक्री किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खाता सं. 447 के खसरा नम्बर 1478 रकबा 0.48 है0 किता 1 जो साबिक खसरा नम्बर 2060 में 1283 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा से बना है। जो कि सं. 2028 के खसरा नम्बर 1036 रकबा 3 बिस्वा से बनाया गया है जो वाके ग्राम ऐचेरा तहसील नदबई स्थित है। विवादित आराजी से अपीलान्ट्स वादीगण का कोई संबंध सरोकार नही है। उक्त विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त की आराजी है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में आगे प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जबाब पेश करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्ण रूप से रही है अदालत तहत के समक्ष अपीलान्ट/वादीगण द्वारा वाद पत्र पेश किया गया है और वाद पत्र की समस्त कार्यवाही वादीगण द्वारा की गई है इसलिये यह संभव नही है कि अपीलान्ट को निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो। जहां तक अपीलान्ट का कहना रहा है कि अधिवक्ता महोदय द्वारा जानकारी नही दी गई तो इस सबंध में उत्तर है कि अपीलान्ट वादीगण को अपने प्रकरण में स्वयं रूचि लेनी चाहिये और पैरवी करनी चाहिये। अपीलान्ट को प्रकरण में विजीलेन्ट होना चाहिये अधिवक्ता महोदय की जानकारी भी पक्षकार की जानकारी मानी जावेगी। इसलिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी न होने का तथ्य कतई गलत है। जिससे अपीलान्ट को कोई लाभ नही मिलता है अपीलान्ट द्वारा जानबूकर देरी से यह अपील पेश की है और जानबूकर की गई देरी को क्षमा योग्य नहीं है इसलिय अपील अपीलान्ट म्याद बाहर होने से खारिज योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 06.12.2024 को पेश की गई है, जो मियाद बाहर है।

8. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण ने जबाब पेश किया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है एवं अपीलान्ट द्वारा पेश अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1478 रकबा 0.48 है0 किता 1 जो साबिक खसरा नम्बर 2060 में 1283 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा से बना है। जो कि सं. 2028 के खसरा नम्बर 1036 रकबा 3 बिस्वा से बनाया गया है जो वाके ग्राम ऐचेरा तहसील नदबई स्थित है। उक्त विवादित आराजी वादीगण के पिता व बाबा श्री सोना की कब्जे काश्त व खातेदारी की शुरु से आराजी रही है। जिस पर वादीगण के पिता व बाबा श्री सोना काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण उक्त आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1036 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा मुताबिक जमाबंदी सं. 2024 से 2027 तक सैटिलमेन्ट सं. 2028 से पूर्व वादीगण के पूर्वज बाबा के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जो कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी लेकिन दौराने बंदोबस्त सं. 2028 के कर्मचारियों की गलती से बिना किसी अधिकार एवं किसी सक्षम अधिकारी व न्यायालय के आदेश के बिना उक्त आराजी के रकबा 3 बीघा से नया खसरा नम्बर 1283 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा बनाया तथा सं. 2060 में उक्त खसरा नम्बरान 1478 रकबा 48 हैक्टर बनाया जाकर जो कि प्रतिवादी के पिता व उनके नाम गलत रुप से दर्ज कर दिया इस प्रकार भू–प्रबंध विभाग का कार्य शून्य व क्षेत्राधिकार से परे है। इसलिए वादीगण उक्त आराजी वर्णित मद सं. 2 वादपत्र वाके ग्राम ऐचेरा तहसील नदबई पर मुताबिक हिस्सा बा.हि. बराबर दुरूस्ती इन्द्राजात करा कर अपने आपको खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड दर्ज करा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन करापाने के अधिकारी है। इस प्रकार वादीगण ने यह अनुतोष चाहा कि **"विवादित आराजी खसरा नम्बर 1478 रकबा 0.48 है0 किता 1 जो साबिक खसरा नम्बर 2060 में 1283 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा से बना है। जो कि सं. 2028 के खसरा नम्बर 1036 रकबा 3 बिस्वा से बनाया गया है जो वाके ग्राम ऐचेरा तहसील नदबई स्थित है। उक्त विवादित आराजी पर वादीगण सं. 1 लगायत 4 को 1/3 हिस्से का व वादी सं. 5 को 1/3 हिस्से का, वादी सं. 6 लगायत 10, 1/3 हिस्सा का बाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म ईम्तनाई दबामी से पाबंद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.08.2024 को निर्णय पारित कर वादीगण का वाद सिद्ध नहीं होने से खारिज कर दिया।"**

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादीगण द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में गवाह के रुप में सतीश पुत्र छोटेलाल पी.डब्लू–1 शपथ–पत्र, मंगतू पुत्र रुपी पी.डब्लू–2 शपथ–पत्र, अमित कुमार पुत्र गजेन्द्र सिंह पी.डब्लू–3 द्वारा शपथ–पत्र पेश किए गए हैं लेकिन उक्त शपथ–पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष सशपथ नहीं है एवं ना ही इनसे जिरह की गयी है एवं अपीलान्ट्स द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने के लिए दस्तावेज नकल जमाबन्दी संवत 2066–2069 वाके ग्राम ऐंचेरा, मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम ऐंचेरा व अन्य दस्तावेजात पेश किये गये हैं किन्तु उक्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श अंकित नहीं किये गए एवं ना ही उक्त दस्तावेजों को विधिवत प्रदर्शित किया गया है एवं ना ही वह पीठासीन अधिकारी द्वारा आद्याक्षर (Initialls) किये गये हैं। इसलिए उक्त दस्तावेजों को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रियात्मक कानून की पालना विधिसम्मत रुप से पूर्ण नहीं की है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 208 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है। इस धारा में निम्न प्रावधान हैं :–

208 सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन के सब वादों और कार्यवाहियों पर सिवाय :–

(क) इस अधिनियम में किसी बात से असंगत उपबंधों के, ऐसी असंगति की सीमा तक,

(ख) इस अधिनियम की व्याप्ति के बाहर के विशेष वादों या कार्यवाहियों पर लागू उपबन्धों के, तथा

(ग) चतुर्थ अनुसूची की सूची (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के, चतुर्थ अनुसूची की सूची–II में अन्तर्विष्ट उपान्तरणों के अध्यधीन लागू होंगे।

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 208 में उल्लिखित तीन अपवादों को छोड़कर राजस्व न्यायालय की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। इसलिए राजस्व न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गयी प्रक्रिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस, मैन्युअल 1956 की प्रक्रिया अनुसार दावों का निस्तारण करते हैं। साक्ष्य विधि की पद्धति उक्त अधिनियमों के अनुसार ही अपनाई जाकर प्रकरण के निष्कर्ष पर पंहुचा जाता है। जब दो पक्षकारों के बीच कोई विवाद उठता है तब वे न्यायालय जाते हैं जो विवादग्रस्त विवाद्यकों या प्रश्नों को निर्धारित करता है। तत्पश्चात् पक्षकार अपने–अपने समर्थन में साक्ष्य पेश करते हैं और इस प्रकार साक्ष्य की विधि के उपयोग का प्रारम्भ होता है। यह विधि साक्षियों और दस्तावेजों आदि को, जो विवादग्रस्त विषयों के विनिश्चय के लिए सुसंगत हैं पेश करने की पद्धति बताती है। दूसरे शब्दों में साक्ष्य किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने की रीति है। राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 (भाग–2) में दस्तावेजों को प्रदर्शित करने बाबत प्रावधान किए गए है एवं गवाहों को किस प्रकार उल्लेख किया जावे इस बाबत भी प्रावधान दिए गए हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2024 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा पेश दस्तावेजात पर प्रदर्श ही अंकित नहीं किए जो प्रक्रियात्मक कानून (Procedural Law) की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जब दस्तावेजात को प्रदर्शित ही नहीं किया गया तो वे साक्ष्य में पढे नहीं जा सकते हैं एवं उनके आधार पर निर्णय भी पारित नहीं किया जा सकता है। वादपत्र के अभिवचनों से विनिर्दिष्ट रुप से इंकार नहीं किया गया हो तब भी वादी को अपने अभिवचनों को साक्ष्य से साबित करना होता है। वाद के

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

साथ दस्तावेज प्रस्तुत कर देने मात्र से वह साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं होते हैं। बल्कि दौराने साक्ष्य अभिवचनों की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श मार्क अंकित किया जाना आवश्यक है और यदि किसी दस्तावेज को साबित किए जाने की आवश्यकता हो तो ऐसे दस्तावेज को साबित किया जाना भी जरुरी होता है। तत्पश्चात् ही दस्तावेजों को निर्णय का आधार बनाया जा सकता है। केवल वे ही दस्तावेज साक्ष्य की परिभाषा में आ सकते हैं जो दौराने साक्ष्य प्रदर्श हुए हैं और आवश्यक होने पर साबित हुए हों। प्रत्येक प्रदर्श मार्क पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक सहित आद्याक्षर किये जाएगे। इस सम्बन्ध में राजस्थान रेवेन्यू कोटर्स मेनयूअल (भाग–2) 1956 के नियम 80 के अनुसार दस्तावेज प्रदर्शित किए जाने चाहिए साथ ही नियम 80(4) के अनुसार प्रत्येक प्रदर्श मार्क पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक सहित आद्याक्षर (Initialled and dated) किए जाएगें एवं नियम 129 के अनुसार पक्षकारों एवं गवाहों का उल्लेख करना चाहिए। यदि कानून किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की अपेक्षा करता है एवं विशेष तरीके से करने की प्रक्रिया भी तय की गयी है तो उसे उसी तरीके से ही किया जाना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाकर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री उपर्युक्त विवेचन के क्रम में पारित किए हैं जो त्रुटिपूर्ण होने से उनका समर्थन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति यह प्रकट होती है कि आलौच्य अपील में उक्त प्रकरण प्रक्रियात्मक कानून का पालन न करने का ठोस आधार उपलब्ध होने के कारण इसे आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2024 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के क्रम में विधिवत रुप से उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए साक्ष्य सबूत लेकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।
11. निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
12. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
13. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर